



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1, 2016/आश्विन 9, 1938

No. 695]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 2016/ASVINA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 936(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 को और उपधारा संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 33 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-नियम (1) के उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन करने के लिए, अधिकरण के परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले आदेश की एक प्रति अधिकरण से इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर परिवर्तित अनुच्छेदों की मुद्रित प्रति के साथ फीस सहित प्ररूप सं. आईएनसी-27 में रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी।”

3. मूल नियमों में, नियम 37 के पश्चात् 2 अक्टूबर, 2016 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“38 कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (एसपीआईसीई)

(1) प्ररूप सं. आईएनसी-33 में ई-संगम ज्ञापन और प्ररूप सं. आईएनसी-34 में ई-संगम अनुच्छेद सहित प्ररूप सं. आईएनसी-32 में किसी कंपनी के निगमन के लिए सरलीकृत एकीकृत प्रक्रिया।

(2) नियम 36 के उपनियम (2) से उपनियम (13) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन निगमन के लिए लागू होंगे:

परंतु प्ररूप संख्या आईएनसी-32, प्ररूप संख्या आईएनसी-33 और प्ररूप संख्या आईएनसी-34 के साथ नियम 36 में के प्ररूप संख्या आईएनसी-29, आईएनसी-30 और आईएनसी-31 के प्रतिनिर्देश के प्रयोजन क्रमशः प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

4. मूल नियमों में, इन नियमों द्वारा इस प्रकार संशोधित नियम 38 के पश्चात् तारीख 1 नवंबर, 2016 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“39. प्रत्याभूति द्वारा सीमित किसी कंपनी का शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में संपरिवर्तन –

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के भिन्न कोई कंपनी स्वयं ही शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में संपरिवर्तित हो सकेगी।

(2) संपरिवर्तन चाहने वाली कंपनी के पास प्रत्याभूति पूंजी के बराबर शेयर पूंजी होगी।

(3) शेयरों द्वारा सीमित किसी कंपनी के लिए लागू अनुच्छेदों का उपबंध करने के लिए अपने संगम, ज्ञापन में प्रत्याभूति खंड का लोप करते हुए और संगम अनुच्छेदों में परिवर्तन करते हुए ऐसे संपरिवर्तन को प्राधिकृत करने वाले इसके सदस्यों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया जाता है।

(4) विशेष संकल्प की एक प्रति इसके पारित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट फीस सहित प्ररूप सं. एमजीटी-14 में कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी।

(5) इस विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर परिवर्तित संगम ज्ञापन और परिवर्तित संगम अनुच्छेदों के साथ तथा ऐसी न्यूनतम समादत्त पूंजी, जो उसके सदस्यों द्वारा अब तक उपलब्ध करवाई गई प्रत्याभूति पूंजी के बराबर है, को समाकलित करते हुए शेयरों की संख्या बताते हुए सदस्यों की एक सूची के साथ प्ररूप सं. आईएनसी-27 में एक आवेदन कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा।

(6) कंपनी रजिस्ट्रार इस आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इन नियमों के अधीन फाइल सभी प्रकार से पूर्ण इस आवेदन पर निर्णय लेगा और प्ररूप सं. आईएनसी-27 का अनुमोदन होने पर कंपनी को प्ररूप सं. आईएनसी-11ख में निगमन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।”

5. मूल नियमों में, प्ररूप सं. आईएनसी-11क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप सं. आईएनसी-11ख**प्रत्याभूति द्वारा सीमित किसी कंपनी को शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में संपरिवर्तित करने के अनुसरण में निगमन प्रमाण-पत्र**

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 39 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के अनुसरण में]

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि गारंटी द्वारा सीमित(संपरिवर्तन से पूर्व कंपनी का नाम) को इस प्रमाण-पत्र की तारीख से शेयरों द्वारा सीमित कंपनी (संपरिवर्तन के बाद कंपनी का नाम) में संपरिवर्तित किया गया है।

इस कंपनी का सीआईएन है

..... दो हजारकेमाह..... केदिन को मेरे हस्ताक्षर से :

मुहर :

.....
कंपनी रजिस्ट्रार

.....
(राज्य)।”।

6. मूल नियम के प्ररूप सं. आईएनसी-27, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् –

प्ररूप सं. आईएनसी.27

/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और 18 तथा कंपनी नियम, 2013 के अधीन बने नियम 33, 37 और 39 के अनुसरण में/



पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में अथवा प्राइवेट कम्पनी को पब्लिक कम्पनी में बदलना और असीमित देयता कंपनी को शेयरों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में बदलना या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में बदलना

प्ररूप की भाषा ० अंग्रेजी ० हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें ।

1. *निम्न के लिए आवेदन ० प्राइवेट कम्पनी को पब्लिक कम्पनी में बदलना

o पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में बदलना

- o असीमित देयता कंपनी को शेयरों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में बदलना
- o गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में बदलना

पूर्व पूरित

2. * (क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) वैश्विक अवस्थिति संख्या

3. (क) कम्पनी का नाम

(ख) पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) कम्पनी की ई-मेल आईडी

4. * परिवर्तन के कारण

* कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष प्ररूप एमजीटी.14 भरने संबंधी विवरण

(क) प्ररूप एमजीटी.14 की एसआरएन

(ख) विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख

 दिन/माह/वर्ष

(ग) प्ररूप एमजीटी.14 भरने की तारीख

5. * अधिकरण के आदेश का ब्यौरा

(क) आदेश पारित करने की तारीख

(ख) आदेश प्राप्त होने की तारीख

6. * निगमन के समय कम्पनी का नाम (प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाना है)

7. (क) जिस बैठक में परिवर्तन का निर्णय लिया गया था उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(iii) गारंटी की कुल राशि

(ख) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(ग) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

- (i) * सदस्यों की संख्या
- (ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या
- (घ) जिन सदस्यों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या
- (i) * सदस्यों की संख्या
- (ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

संलग्नक

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| 1. *सदस्यों की बैठक का कार्यवृत्त; | संलग्न करें | अनुलग्नकों की सूची |
| 2. *परिवर्तित संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति; | संलग्न करें | |
| 3. विलम्ब के लिए माफी हेतु आदेश; | संलग्न करें | |
| 4. *विशेष संकल्प की प्रति; | संलग्न करें | |
| 5. * समाचार प्रकाशन की प्रति; | संलग्न करें | |
| 6. अधिकरण का आदेश; | संलग्न करें | |
| 7. * नियम 37(3) (ड) के अनुसार सभी निदेशकों की घोषणा; | संलग्न करें | अनुलग्नक हटाएं |
| 8. * नियम 37(3) (च) के अनुसार निदेशकों की घोषणा; | संलग्न करें | |
| 9. *ऋणदाताओं और डिबेंचर धारकों की पूरी सूची; | संलग्न करें | |
| 10. *ऋण शोधन की घोषणा; | संलग्न करें | |
| 11. * नियम 37 (4) के अनुसार शिकायत न करने संबंधी घोषणा; | संलग्न करें | |
| 12. * सांविधिक लेखापरीक्षा घोषणा की एक प्रति; | संलग्न करें | |
| 13. वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हो) | संलग्न करें | |

घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है। कंपनी ने संबंधित प्राधिकरणों, विभागों और महत्वपूर्ण ऋणदाताओं से सभी अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। मुझे कम्पनी के निदेशक मंडल के दिनांक *(दिन/माह/वर्ष) के संकल्प संख्या * के द्वारा यह प्ररूप हस्ताक्षरित करने और यह आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निम्नलिखित द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया जाना है

*पदनाम

डीएससी बॉक्स

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा

प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा

कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पणी : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः झूठे विवरण/प्रमाण-पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

संशोधन करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए :			
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">ब्यौरा संलग्न करें</div>			
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) <input style="width: 100px;" type="text"/> ई-प्ररूप दायर करने की तारीख <input style="width: 100px;" type="text"/> (दिन/माह/वर्ष)			
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर <input style="width: 150px;" type="text"/> (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)			
यह ई-प्ररूप एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है <input style="width: 150px;" type="text"/>			
यह ई-प्ररूप एतद्वारा अस्वीकृत किया जाता है <input style="width: 150px;" type="text"/>			
हस्ताक्षर किए जाने की तारीख <input style="width: 150px;" type="text"/> (दिन/माह/वर्ष)			

7. मूल नियम में प्ररूप सं. आईएनसी-31 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

<p>(कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 4, 7, 12, 152 और 153 के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उन धाराओं के अनुसरण में) प्ररूप सं. आईएनसी-32</p>	<p>स्पाइस (कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप)</p>
---	---

प्ररूप की भाषा अंग्रेजी हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए निदेश किट का प्रयोग करें

1. (क)*कंपनी का प्रकार.....
 (ख)* कंपनी का वर्ग पब्लिक प्राइवेट एकल व्यक्ति कंपनी
 (ग)*कंपनी का प्रवर्ग.....
 (घ)* कंपनी का उप-प्रवर्ग.....
 (ङ)* कंपनी शेयर पूंजी वाली है शेयर पूंजी वाली नहीं है।
 (च) धारा-8 लाइसेंस संख्या.....

2. (क)* कंपनी की औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य प्रभाग.....

मुख्य प्रभाग का वर्णन

(ख) क्या संगम अनुच्छेद का अतिक्रमण हुआ है हां नहीं

अनुच्छेदों की संख्या, जिन पर परिरक्षास्थापना के उपाबंध लागू किए जाएंगे

ऐसे अनुच्छेदों का विवरण

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या	खंड के परिरक्षास्थापना का संक्षिप्त विवरण

3. (i)* कंपनी की पूंजीगत संरचना.....

कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी (रूपए में).....

प्राधिकृत शेयर पूंजी	साम्या	अधिमान	अज्ञात
शेयरों की संख्या			
प्रतिशेयर का न्यूनतम मूल्य (रूपए में)			
कुल राशि (रूपए में)			

कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (रूपए में).....

अभिदत्त शेयरपूंजी	साम्या	अधिमान	अज्ञात
शेयरों की संख्या			
प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य (रूपए में)			
कुल राशि (रूपए में)			

(ii)* सदस्यों की संख्या का ब्यौरा

(क) सदस्यों की अधिकतम संख्या दें	
(ख) प्रस्तावित कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या	
(ग) सदस्यों की संख्या	
(घ) प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की संख्या	

4. (क)* पत्र व्यवहार का पता

*पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

*नगर.....

*राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... *पिन कोड.....

* जिला.....

*दूरभाष (एसटीडी कोड सहित).....

फैक्स.....

*कंपनी का ई-मेल पता.....

* (ख) क्या पत्र व्यवहार का पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता है ० हां ० नहीं

* (ग) कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम, जहां कंपनी रजिस्ट्रीकृत होनी प्रस्तावित है

5. * प्रस्तावित या अनुमोदित नाम के ब्यौरे

(क) (i) क्या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नाम अनुमोदित किया जा चुका है हां नहीं

(ii) आईएनसी-1 प्ररूप की एसआरएन सं. (पूर्व पूरित)

प्रस्तावित या अनुमोदित नाम	
प्रस्तावित नाम में संक्षिप्त या संक्षेपाक्षर शब्द का महत्व	
यदि प्रस्तावित नाम में क्षेत्रीय भाषा प्रयुक्त हुई है तो उसका नाम और उसका अर्थ	

(ख)

(i)* क्या प्रवर्तक आवेदन किए गए नाम से कोई भागीदारी फर्म, पूर्ण स्वामित्व या अरजिस्ट्रीकृत कंपनी चला रहे हैं	<input type="radio"/> हां <input type="radio"/> नहीं
यदि हां, क्या ऐसी कंपनी का कारबार ग्रहण किया जाएगा?	<input type="radio"/> हां <input type="radio"/> नहीं
(ii)* क्या प्रस्तावित नाम में 'निर्वाचन ट्रस्ट' वाक्यांश शामिल है	<input type="radio"/> हां <input type="radio"/> नहीं
(iii)* क्या प्रस्तावित नाम में ऐसा कोई शब्द या भाव शामिल है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है	<input type="radio"/> हां <input type="radio"/> नहीं
(iv)* क्या किसी क्षेत्रिय नियामक का अनुमोदन अपेक्षित है	<input type="radio"/> हां <input type="radio"/> नहीं
(v) क्या कंपनी का नाम <input type="radio"/> वर्तमान भारतीय कंपनी के समान है <input type="radio"/> विदेशी कारपोरेट निकाय के समान है [संकल्प बोर्ड के रूप में अनापत्ति सबूत-पत्र (उस कंपनी के एक निदेशक द्वारा यथावत अभिप्रमाणित की प्रति संलग्न करें) सीआईएन बताएं.....(पूर्व पूरित) कंपनी का नाम.....	

(ग) (i) क्या प्रस्तावित नाम एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित एक आवेदन की विषय वस्तु पर आधारित है हां नहीं

(ii)* व्यापार चिन्ह के वर्ग (वर्गों) विनिर्दिष्ट करें (ब्यौरे के लिए निदेश किट देखें)

(iii)* व्यापार चिन्ह के आवेदन का या आवेदक या स्वामी के अनुमोदन की विशिष्टियां दें।

6. (क)* संगम-ज्ञापन के पहले अभिदाता (अभिदाताओं) और कंपनी के निदेशकों के नाम

	विधिमान्य डीआईएन है	विधिमान्य डीआईएन नहीं है
प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं) की कुल संख्या (गैर-वैयक्तिक+वैयक्तिक)		
गैर-व्यैक्तिक प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं) की संख्या		

व्यैक्तिक प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं)-सह-निदेशक (निदेशकों) की संख्या		
निदेशकों की कुल संख्या (ऊपर पंक्ति संख्या 3 में उल्लिखित अनुसार वह निदेशक जो अभिदाता + अभिदाता-सह-निदेशक नहीं है)		

(ख)* गैर-वैयक्तिक प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं) का विवरण –

*श्रेणी.....

*कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन) या अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या
.....(पूर्व-पूरित)

*कारपोरेट निकाय का नाम

*रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता या भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान या भारत से बाहर व्यवसाय का मुख्य स्थान

*पंक्ति I

पंक्ति II

* शहर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड..... देश.....

राष्ट्र.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

फैक्स

* ई-मेल आईडी.....

प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण

1. * प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

*उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग.....*जन्म की तारीख.....* राष्ट्रीयता.....

स्थाई खाता संख्या पासपोर्ट संख्या(सत्यापित करें)

आधार संख्या

* जन्म का स्थान (जिला और राज्य)

* व्यवसाय का प्रकार

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

*शैक्षिक अर्हता.....

वर्तमान पता

* पंक्ति I

पंक्ति II

* शहर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड..... देश.....

राष्ट्र.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

मोबाइल

फैक्स

* ई-मेल आईडी.....

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

(ग)* व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं) (अभिदाता-सह-निदेशक के अतिरिक्त विशिष्टियां)

1. * निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)..... (पूर्व पूरित)

*नाम

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

* प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

* उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग..... *जन्म की तारीख..... * राष्ट्रीयता.....

* जन्म का स्थान.....

* व्यवसाय का प्रकार ० स्वनियोजित ० वृत्तिक ० घरेलू ० विद्यार्थी ० सेवक

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

*शैक्षिक अर्हता.....

* स्थायी खाता संख्या पासपोर्ट संख्या (सत्यापित करें)

आधार संख्या

* ई-मेल पता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

*पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ० हां ० नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* वर्तमान पते पर रहने की अवधि.....वर्ष.....मास

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो, तो पूर्ववर्ती निवास का पता

.....
.....

* पहचान का सबूत.....* निवास का सबूत.....

संलग्नकों में पहचान का सबूत और पते का सबूत प्रस्तुत करें।

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

(घ)* व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं)-सह-निदेशकों की विशिष्टियां

1. * निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)..... (पूर्व पूरित)

* नाम.....

* लिंग.....*जन्म की तारीख.....*राष्ट्रीयता.....

* पदनाम.....* प्रवर्ग.....

क्या अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं

* कंपनी या संस्थान का नाम, जिसका नियुक्त व्यक्ति नामनिर्देशिती है।

.....

*ई-मेल पता.....

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है (यदि ऐसी संस्थाएं सीआईएन/ एफसीआरएन/ एलएलपीआईएन वाली है तो उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है).....

* रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

* नाम.....

* पता.....

हित का प्रकार	*पदनाम.....
	शेयर धारिता का प्रतिशत.....राशि.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

1.* प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

*उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग.....*जन्म की तारीख* राष्ट्रीयता.....

* जन्म का स्थान.....

*क्या भारतीय नागरिक है ० हां ० नहीं * क्या भारतनिवासी है ० हां ० नहीं

* व्यवसाय का प्रकार ० स्वनियोजित ० पेशेवर ० घरेलू ० विद्यार्थी ० सैनिक

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

*शैक्षिक अर्हता.....

* स्थायी खाता संख्या पासपोर्ट संख्या (सत्यापित करें)

* पदनाम.....*प्रवर्ग.....

* क्या अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं

* कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नियुक्त व्यक्ति नामनिर्देशित है.....

* ई-मेल पता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड..... देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ० हां ० नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड..... देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* वर्तमान पते पर रहने का अवधि..... वर्ष..... माह.....

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो तो पूर्ववर्ती निवास का पता

.....

* पहचान का सबूत..... * निवास का सबूत.....

मतदान पहचान पत्र संख्या.....

चालन अनुज्ञप्ति संख्या.....

आधार संख्या.....

सलग्रकों में पहचान का सबूत और पते का सबूत प्रस्तुत करें।

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है.....

* रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

* नाम.....

* पता.....

हित का स्वरूप	*पदनाम.....
	शेयर धारिता का प्रतिशत..... राशि.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

(ड) * निदेशकों की विशिष्टियां (प्रथम हस्ताक्षरकर्ताओं से भिन्न)

1. * निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)..... (पूर्व पूरित)

* नाम.....

* लिंग..... *जन्म की तारीख..... *राष्ट्रीयता.....

* पदनाम..... * प्रवर्ग.....

क्या अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं

* कंपनी या संस्थान का नाम, जिसका नियुक्त व्यक्ति नामनिर्देशिती है

.....

*ई-मेल पता.....

ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है (यदि ऐसी संस्थाएं सीआईएन/ एफसीआरएन/ एलएलपीआईएन वाली है तो उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।).....

* रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

* नाम.....

* पता.....

हित का प्रकार	*पदनाम.....
	शेयर धारिता का प्रतिशत..... राशि.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

1. * प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

*उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग..... *जन्म की तारीख..... * राष्ट्रीयता.....

* जन्म का स्थान.....

*क्या भारतीय नागरिक है हां नहीं * क्या भारतनिवासी है हां नहीं

* व्यवसाय का प्रकार स्वनियोजित पेशेवर घरेलू विद्यार्थी सैनिक

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

*शैक्षिक अर्हता.....

* स्थायी खाता संख्या पासपोर्ट संख्या (सत्यापित करें)

* पदनाम..... * प्रवर्ग.....

* क्या अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक है

* कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नियुक्त व्यक्ति नामनिर्देशिती है.....

* ई-मेल पता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ० हां ० नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* वर्तमान पते पर रहने की अवधि.....वर्ष.....माह.....

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो तो पूर्ववर्ती निवास का पता

.....

*पहचान का सबूत..... * निवास का सबूत.....

मतदान पहचान पत्र संख्या.....

चालन अनुज्ञापित संख्या.....

आधार संख्या.....

संलग्नकों में पहचान का सबूत और पते का सबूत प्रस्तुत करें।

ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है.....

* रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

* नाम.....

* पता.....

हित का स्वरूप	*पदनाम.....
	शेयर धारिता का प्रतिशत..... राशि.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

7. (क)* नामनिर्देशन

मै*..... के संगम ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता
 एतद्वारा* को नामित करता/ करती हूँ, जो मेरी मृत्यु होने या संविदा में असक्षम होने की स्थिति में
 कंपनी का सदस्य बनेगा। मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार नामनिर्देशिती
 नामांकन के लिए पात्र है।

(ब) *नामनिर्देशिती की विशिष्टियां

निदेशक पहचान संख्या (डिन)

पूर्व पूरित

* प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

* उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग..... *जन्म की तारीख..... *राष्ट्रीयता.....

* स्थायी खाता संख्या..... (विवरण सत्यापित करें)

*आधार संख्या.....

* जन्म का स्थान (जिला और राज्य).....

* व्यवसाय का प्रकार

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

*शैक्षिक अर्हता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

मोबाइल.....

फैक्स.....

*ई-मेल पता

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ० हां ० नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I.....

* पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... * पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड.....

देश.....

दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

मोबाइल.....

फैक्स.....

* वर्तमान पते पर रहने का अवधि.....वर्ष.....माह

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो तो पूर्ववर्ती निवास का पता

* पहचान का सबूत..... *निवास का सबूत

8. स्टांप शुल्क के संदाय की विशिष्टियां

(क) वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसके पक्ष में स्टांप (पूर्व पूरित)

शुल्क का भुगतान किया गया या किया जाना है.....

(ख) * क्या स्टांप शुल्क का भुगतान एमसीए-21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना है हां नहीं लागू नहीं

(i) भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क की विशिष्टियां

दस्तावेज का प्रकार/ विशिष्टियां	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद
भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क की राशि (रूप में)			

(ii) भुगतान किए हुए स्टांप शुल्क की विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

दस्तावेजों का प्रकार/ब्यौरा	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य
भुगतान किए हुए स्टांप शुल्क की कुल राशि				
स्टांप शुल्क भुगतान का माध्यम				
सरकार की तरफ से स्टांप शुल्क एकत्रित करने अथवा स्टांप पेपर बेचने अथवा दस्तावेजों पर मुहर लगाने या स्टांप वाउचर बांटने के लिए प्राधिकृत विक्रेता या कोषागार या प्राधिकारी या अन्य किसी सक्षम एंजेंसी का नाम				
मुहर या स्टांप या स्टांप पेपर या कोषागार चालन संख्या की क्रम संख्या				
विक्रेता की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
स्टांप या स्टांप पेपर के विक्री या स्टांप शुल्क के भुगतान की तारीख (दिन/माह/वर्ष)				
स्टांप या स्टांप पेपर के विक्री या स्टांप शुल्क के भुगतान का स्थान				

9. स्थाई खाता संख्या (पीएएन) और कर कटौती खाता संख्या (टीएएन)** के आवेदन के लिए अतिरिक्त सूचना

पैन के लिए विनिर्दिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेंज कोड	एओ सं.

टैन के लिए विनिर्दिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड			एओ प्रकार		रेंज कोड			एओ सं.		

आय का स्रोत

- कारोबार/पेशा से आय 0 पूंजी लाभ 0 गृह संपत्ति से आय
- अन्य स्रोतों से आय 0 कोई आय नहीं

कारोबार/पेशा कोड

--	--	--	--

10. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अधीन नियोक्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त सूचना

इकाई का प्रकार कारखाना स्थापना
कारोबार/पेशा का सही स्वरूप कार्य उप प्रवर्ग

--	--

अनुलग्नक

अनुलग्नकों की सूची

1.	*संगम ज्ञापन;	संलग्न करें
2.	*संगम अनुच्छेद;	संलग्न करें
3.	*प्रथम हस्ताक्षरकर्ता एवं निदेशक(कों) द्वारा दिया गया हलफनामा एवं घोषणा;	संलग्न करें
4.	कार्यालय पता का सबूत (किराया रसीद के साथ हस्तांतरण पत्र/पट्टा विलेख/किराया करार आदि);	संलग्न करें
5.	उपयोगिता बिल की प्रति (दो माह से अधिक पुरानी न हो)	संलग्न करें
6.	यदि प्रस्तावित नाम में ऐसे शब्द या वाक्य हो जिसमें केंद्रीय सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता है तो ऐसे अनुमोदन की प्रति	संलग्न करें
7.	ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रीकरण के लिए ट्रेडमार्क के स्वामी या ऐसे आवेदन के आवेदक का अनुमोदन	संलग्न करें
8.	एकल स्वामी/भागीदार/अन्य सहयोगी/वर्तमान कंपनी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी);	संलग्न करें
9.	संबंधित नियामक से मुख्य अनुमोदन	संलग्न करें
10.	विदेशी कारपोरेट इकाई के निगमन एवं पारित संकल्प के प्रमाणपत्र की प्रति;	संलग्न करें
11.	संप्रवर्तक कंपनी द्वारा पारित संकल्प;	संलग्न करें
12.	वर्तमान भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी);	संलग्न करें
13.	अन्य कंपनियों में प्रथम निदेशक(कों) का हित;	संलग्न करें
14.	नामित व्यक्ति की सम्मति;	संलग्न करें
15.	हस्ताक्षरकर्ता के निवास के पते एवं पहचान का सबूत;	संलग्न करें

16.	नामित व्यक्ति के निवास के पते एवं पहचान का सबूत;	संलग्न करें	
17.	आवेदक I के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
18.	आवेदक II के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
19.	आवेदक III के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
20.	संप्रवर्तक में बदलाव (प्रथम हस्ताक्षरकर्ता से संगम ज्ञापन) की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)	संलग्न करें	
21.	वैकल्पिक अनुलग्नक, (यदि कोई हो)	संलग्न करें	

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

- मैंने नाम के आरक्षण की बावत में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, इसके नियमों एवं इसके अधीन तैयार किए गए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों को पढ़ा है और इसके अर्थ को समझा है कि प्रस्तावित नाम इसके अनुरूप है।
- मैंने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल में उपलब्ध खोज सुविधाओं का उपयोग पूर्व से रजिस्ट्रीकृत अथवा पूर्व में अनुमोदित नामों वाली कंपनियों व सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) के साथ क्रमशः प्रस्तावित नाम की समानता की जांच के लिए किया है। मैंने रजिस्ट्रीकृत ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अधीन किसी आवेदन में ट्रेडमार्क विषय के साथ प्रस्तावित नाम की सदृश्यता जांचने के लिए भी खोज सुविधाओं का प्रयोग किया है और प्रस्तावित नाम की सदृश्यता के लिए प्रासंगिक खोज किए हैं जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए कि नाम की सदृश्यता के लिए बने अधिनियम के उपाबंध और इसके नियमों की अनुपालना की जा रही है।
- प्रस्तावित नाम ने संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है और समय-समय पर इसका संशोधन किया जाता है।
- प्रस्तावित नाम किसी भी वर्ग के लोगों के लिए अपमानजनक नहीं है अर्थात् प्रस्तावित नाम में ऐसी किसी प्रकार की आचारभ्रष्टता अथवा शब्द या वाक्यांश अंतर्विष्ट नहीं है जो सामान्यतः किसी जातीय समूह, धर्म, लिंग या परंपरा के लिए आपत्तिजनक हो।
- *कंपनी द्वारा प्रस्तावित नाम का उपयोग किसी भी विधि के अधीन आपत्तिजनक नहीं होगा।
- यदि बाद में यह नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) और धारा 4(4) के उपबंधों व इसके नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो इसके परिणाम के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ और मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) (ii)(क) और (ख) के उपबंधों और उसके नियमों को पढ़ा और समझा है और इसके परिणाम के लिए स्वयं को उत्तरदायी घोषित करता हूँ।
- *मैं -----, जो इस अनुच्छेद में कंपनी के निदेशक के रूप में नामित है, कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा यह घोषणा करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बने नियमों की अपेक्षाओं, जो निदेशक पहचान संख्या (डिन) कंपनी के रजिस्ट्रीकरण एवं इससे पूर्ववर्ती या प्रासंगिक मामलों से संबंधित है, को संकलित किया गया है।
- मैं संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले प्रवर्तकों तथा प्रथम निदेशक(कों) द्वारा यह घोषणा करने तथा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ।
- *मैं प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हूँ कि कंपनी तब तक अपना वृत्तिक आरंभ नहीं करेगी जब तक प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता ने संगम ज्ञापन को स्वीकार करने के समय उसके द्वारा प्राप्त शेरों के मूल्य का भुगतान न कर दिया हो।
- मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि कंपनी अपना व्यवसाय तब तक आरंभ नहीं करेगी जब तक क्षेत्रीय विनियामकों जैसे आरबीआई, सेबी आदि से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

- मैं प्रवर्तकों एवं प्रथम निदेशकों की ओर से यह घोषणा करता हूँ कि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सभी सूचनाएं प्राप्त करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं और निगमन के समय प्रस्तावित कंपनियों को संबोधित अधिसूचनाओं को इस प्ररूप की मद संख्या 4 में दिए गए पते में रखा जाएगा।
- *मैं प्रस्तावित कंपनी के संगम अनुच्छेद में नामित सभी प्रथम निदेशकों की ओर से दृढ़तापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और इस समेकित आवेदन प्ररूप में निगमन के लिए दी गई सूचना और इसके अनुलग्नक सही एवं संपूर्ण हैं और इस प्ररूप से संबंधित किसी भी सूचना को छुपाया नहीं गया है। सभी आवश्यक अनुलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही रूप में और स्पष्ट रूप से संलग्न कर दिया गया है और वह संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में हस्ताक्षर करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेख के अनुसार है।
- मैं, प्रस्तावित निदेशकों, जिनके ब्यौरे डिन के आबंटन के लिए उपर्युक्त रूप में भरे गए हैं, की ओर से इस बात की पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों जिसमें धारा 164 और 169 शामिल है, के अधीन किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नियंत्रित, अयोग्य या पृथक नहीं है और उन्हें किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय की ओर से घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन किसी निदेशक पहचान संख्या (डिन) का आबंटन पहले से नहीं किया गया है, और मैं इस बात की भी घोषणा करता हूँ कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, धारा 450 और धारा 451 के साथ पठित धारा 154, धारा 155, धारा 447 और धारा 448 के उपबंधों को पढ़ा और समझा है।

▪ *,

----- जिसकी सदस्य संख्या ----- और/या अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र ----- हैं, को धारा 7(1) (ख) के अधीन घोषणा करने का अधिकार दिया गया है और ऐसी घोषणा को संलग्न किया गया।

टिप्पण: धारा 7(5) और धारा 7(6) के उपबंधों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ यह उपाबंध है कि किसी सूचना का मिथ्या या गलत ब्यौरा या किसी तात्त्विक सूचना को दबाने से धारा 447 के अधीन कपट के लिए दंड दिया जा सकता है। धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या सबूतों के लिए क्रमशः दंड का उपाबंध है।

*निदेशक द्वारा अंकीय रूप में हस्ताक्षर किया जाना है।

डीएससी बॉक्स

*डिन/पैन -----

पेशेवर द्वारा की गई घोषणा और प्रमाणन

मैं -----, ----- का सदस्य जिसका कार्यालय* ----- में स्थित है और जो कंपनी के गठन के कार्य में लगा हुआ है, यह घोषणा करता हूँ कि मैं इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त हूँ। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और इसके नियमों को इस प्ररूप के विषयवस्तु और इससे संबंधित मुद्दों के लिए पढ़ा है और ऊपर दिए ब्यौरों, (अनुलग्नक शामिल है) जो इस प्ररूप की विषयवस्तु हैं, को आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलिखित के साथ सत्यापित किया है और उन्हें सत्य, सही और संपूर्ण पाया है और इस प्ररूप की किसी सूचना को छुपाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि :

- (i) मसौदा ज्ञापन और संगम अनुच्छेद धारा 4 और धारा 5 के उपबंधों और इसके नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं; और
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके अंतर्गत बने नियम, जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है और इसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों को संकलित कर लिया गया है। उक्त अभिलेखों को उचित रूप से तैयार कर कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर लिया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार रखा गया है और उन्हें क्रमबद्ध रूप में पाया गया है;
- (iii) मैंने इस प्ररूप के सभी अनुलग्नकों को देखा है और इन्हें आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण और स्पष्ट पाया है;

- (iv) मैं इस बात की भी घोषणा करता हूँ कि मैंने प्ररूप में दिए गए प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वैयक्तिक रूप से दौरा किया है और यह पाया है कि कंपनी का प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कंपनी के व्यावसायिक प्रयोजन के लिए काम कर रहा है (प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के संबंध में, जहां लागू हो);
- (v) मुझे जानकारी है कि मैं गलत प्रमाणन, यदि किसी स्तर में पाया गया, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूँ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक सेवा) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या
 - कंपनी सचिव (पूर्णकालिक सेवा) 0 अधिवक्ता -----
- *क्या सहयोगी या साथी है - सहयोगी - साथी
- *सदस्य संख्या -----
- व्यवसाय संख्या का प्रमाण पत्र -----
- *आयकर पैन -----

संशोधन	प्ररूप देखें	पूर्व संवीक्षा	प्रस्तुत करें
--------	--------------	----------------	---------------

कार्यालय प्रयोग के लिए ई-स्टांप और दायर किया गया ब्यौरा संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं.(एसआरएन) ----- ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख----- (दिन/माह/वर्ष)

इस ई-प्ररूप को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ----- जमा पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख ----- (दिन/माह/वर्ष)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I (धारा 4 और धारा 5 देखें) के अनुसरण में] प्ररूप संख्या आईएनसी-33	स्पाइस एमओए (ई-संगम ज्ञापन)
---	-----------------------------

संगम ज्ञापन की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप आईएनसी-1 का एसआरएन _____ पूर्व पूरित

*कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I के अधीन अधिसूचित कंपनी के लिए लागू सारणी -----

सारणी क – शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन

1. कंपनी का नाम “ _____ है।
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ राज्य में स्थित होगा।
3. (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।

4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
5. कंपनी की शेयर पूंजी _____ रुपये है, जो _____ रुपए के _____ शेयर में विभाजित है।
6.
 - हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:
 - मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को ग्रहण करता हूं:

क्रम संख्या	अंशदाता विवरण					
	नाम, पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या	लिए गए शेयरों की संख्या		डीएससी	तारीख
1						
2	कुल प्राप्त शेयर					
मेरे सामने हस्ताक्षरित						
नाम	पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या/ सदस्यता संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख	

7. श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
 _____ आयु _____ वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा

सारणी ख - शेयर पूंजी रहित और प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

- कंपनी का नाम " _____
 _____ है।
- कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।

4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
5. कंपनी की शेयर पूंजी _____ रुपये है, जो _____ रुपए के _____ शेयर में विभाजित है।
6.
 - हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:
 - मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को ग्रहण करता हूं:

क्रम संख्या	अंशदाता विवरण					
	नाम, पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या	लिए गए शेयरों की संख्या		डीएससी	तारीख
1						
2	कुल प्राप्त शेयर					
मेरे सामने हस्ताक्षरित						
नाम	पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या/ सदस्यता संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख	

7. श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
 _____ आयु _____ वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा।

सारणी ग - शेयर पूंजी वाली और प्रत्याभूति द्वारा कंपनी का संगम ज्ञापन।

- कंपनी का नाम " _____
 _____ है।
- कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।

4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
5. कंपनी की शेयर पूंजी _____ रुपये है, जो _____ रुपए के _____ शेयर में विभाजित है।
6. कंपनी की शेयरपूंजी _____ रुपए है जो _____ रुपए के _____ शेयरों में विभक्त है।
7.
 - हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:
 - मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को ग्रहण करता हूं:

क्रम संख्या	अंशदाता विवरण					
	नाम, पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या	लिए गए शेयरों की संख्या		डीएससी	तारीख
1						
2	कुल प्राप्त शेयर					
मेरे सामने हस्ताक्षरित						
नाम	पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या/ सदस्यता संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख	

8. श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
 _____ आयु _____ वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा

सारणी घ - एक शेयर पूंजी रहित असीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

- कंपनी का नाम " _____
 _____ है।
- कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।

4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
5.
 - हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:
 - मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूँ और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को ग्रहण करता हूँ:

क्रम संख्या	अंशदाता विवरण					
	नाम, पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या	लिए गए शेयरों की संख्या		डीएससी	तारीख
1						
2	कुल प्राप्त शेयर					
मेरे सामने हस्ताक्षरित						
नाम	पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या/ सदस्यता संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख	

6. श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
 _____ आयु _____ वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा।

सारणी ड. - शेयरपूंजी वाली और असीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

- कंपनी का नाम “ _____
 _____ है।
- कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ राज्य में स्थित होगा।
- (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।

4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
5. कंपनी की शेयर पूंजी _____ रुपये है, जो _____ रुपए के _____ शेयर में विभाजित है।

6.

- हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:
- मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूँ और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को ग्रहण करता हूँ:

क्रम संख्या	अंशदाता विवरण				
	नाम, पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या	लिए गए शेयरों की संख्या	डीएससी	तारीख
1					
2	कुल प्राप्त शेयर				
मेरे सामने हस्ताक्षरित					
नाम	पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या/ सदस्यता संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख

7. श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
 _____ आयु _____ वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा।

उपांतरित करें जांच प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-1 (देखें धारा 4 और 5) के अनुसरण में] प्ररूप संख्या आईएनसी-34	स्पाइस एओए (ई-संगम अनुच्छेद)
---	---------------------------------

संगम अनुच्छेद की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप आईएनसी-1 का एसआरएन _____ पूर्व पूरित

*कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-1 के अधीन यथा अधिसूचित कंपनी के लिए लागू समुचित सारणी _____

यहां कंपनी का नाम इंटर करें

सारणी च- शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद

यदि लागू हो तो जांच करें	यदि परिवर्तन हो तो जांच करें	अनुच्छेद सं.	विवरण
			निवर्चन
■	■		(1) इन विनियमों में,- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है; (ख) "मुहर" से कंपनी की सामान्य मुहर अभिप्रेत है। (2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्ध करे जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।
■	■		शेयरपूजी और अधिकारों में परिवर्तन
■	■		अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी की पूंजी में शेयर उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो उनका या उनके किसी शेयर ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें, निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा निपटान कर सकेंगे।
■	■		(i) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में प्रविष्ट है, निगमन के पश्चात् ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या इतनी अन्य अवधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित की जाए- (क) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा (ख) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से प्रत्येक उसके एक या एक से अधिक शेयरों के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। (ii) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुहर लगी होगी और उसमें वे शेयर जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समाप्त रकम भी निर्दिष्ट होगी। (iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी शेयर या किन्हीं शेयरों की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई शेयर धारियों में से किसी एक को शेयर के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त परिदान होगा।
■	■		(i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के पृष्ठांकन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र, हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए के संदाय पर जारी किया जाएगा। (ii) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध इसी प्रकार कंपनी के डिवेंचरों को लागू होंगे।
■	■		विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह मान्यता न देगी कि वह किसी शेयर को न्यास पर धृत किए हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे शेयर में उसके रजिस्ट्रीकृत धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस

			शेयर, साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस शेयर के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी शेयर की बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आवद्ध होगी और न उसकी (अपने को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से विवश होगी।
■	■		(i) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है। (ii) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक नहीं होगी। (iii) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या अंशतः समादत्त शेयरों का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।
■	■		(i) यदि किसी भी समय शेयर पूंजी विभिन्न वर्ग वाले शेयरों में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न अधिकारों में [तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले शेयरों के निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है] धारा 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित शेयरों के तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले शेयरों के धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से किया जा सकेगा। (ii) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे हर पृथक् अधिवेशन को, इसी प्रकार लागू होंगे किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो व्यक्तियों की होगी जो प्रश्रुत वर्ग वाले निर्गमित शेयरों के कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।
■	■		अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले शेयरों के धारकों को प्रदत्त अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब कि उस वर्ग वाले शेयरों के निर्गमन के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि उनमें परिवर्तन ऐसे अतिरिक्त शेयरों के सृजन या निर्गमन से हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं।
■	■		धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी शेयर, साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनों पर निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के, जैसी कंपनी शेयरों के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।
			धारणाधिकार
■	■		(i) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार, अर्थात्:- (क) हर शेयर पर [जो पूर्णतः समादत्त शेयर नहीं है] उस शेयर लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियों के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा (ख) किसी एक व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी शेयरों पर [जो पूर्णतः समादत्त शेयर नहीं है], उन सभी धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा तत्क्षण कंपनी को देय है: परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी शेयर की बाबत यह घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या अंशतः छूट प्राप्त है। (ii) शेयर पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई हो, उस शेयर लेख देय सभी लाभांशों और ऐसे शेयरों के संबंध में समय-समय पर घोषित बोनस का होगा।
■	■		कंपनी ऐसे किन्हीं शेयरों को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझता है: परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा-

			<p>(क) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा</p> <p>(ख) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है, चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस शेयर के तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह दिन समाप्त न हो गए हों।</p>
■	■		<p>(i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए शेयरों को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।</p> <p>(ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।</p> <p>(iii) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि क्रय धन का क्या उपयोगन किया जाता है और उन शेयरों पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।</p>
■	■		<p>(i) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका उपयोगन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है, उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है।</p> <p>(ii) यदि कुछ अवशिष्ट रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन शेयरों पर विक्रय के पूर्व विद्यमान थे, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन शेयरों का हकदार है।</p>
■	■		शेयरों के लिए आह्वान
■	■		<p>(i) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों (शेयरों के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके शेयरों के आबंटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगा:</p> <p>परंतु कोई भी आह्वान शेयर के अभिहित मूल्य के चौथाई से अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी।</p> <p>(ii) हर सदस्य अपने शेयरों लेखे आहूत रकम उसके चुकाए जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा।</p> <p>(iii) कोई आह्वान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहत या मुलतवी किया जा सकेगा।</p>
■	■		आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया जब से आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किस्तों में चुकाया जाए।
■	■		शेयर के संयुक्त धारक इस संबंध में सभी आह्वानों को चुकाने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।
■	■		<p>(i) यदि शेयर के लिए आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, के चुकाने के लिए नियत दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड अवधारित करे, ब्याज देगा।</p> <p>(ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने का पूर्णतः या अंशतः अधित्यजन कर दे।</p>
■	■		(i) शेयर के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई राशि उस शेयर के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी बाबत

		इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसको ऐसी राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आह्वान है। (ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे सभी सुसंगत उपबंध, जो व्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी किसी आह्वान के आधार पर देय होगी जो सम्यक् रूप से किया गया और अधिसूचित किया गया था।
■	■	बोर्ड- (क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी धनराशि या उसका कोई भाग, जो उन शेयरों के लिए अनाहृत और असमादत्त धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि चुका देने का इच्छुक है, उस समय सदस्य से प्राप्त कर सकेगा, तथा (ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं पर व्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होतीं) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।
■	■	शेयरों का अंतरण
■	■	(i) कंपनी के किसी शेयर के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस शेयर की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस शेयर का धारक बना रहता है।
■	■	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा। (क) ऐसी किसी शेयर का, जो पूर्णतः समादत्त शेयर नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं शेयरों का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,
■	■	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में नहीं है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन शेयरों का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र नहीं है और ऐसा अन्य साक्ष्य नहीं है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत शेयरों के केवल एक वर्ग की बाबत नहीं है।
■	■	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे: परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।
■	■	शेयरों का संप्रेषण
■	■	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन शेयरों में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी द्वारा मान्यता दी जाएगी।

			(ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा को ऐसे किसी शेयर की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।
■	■		(i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति किसी शेयर का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, या तो- (क) शेयर के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने का, या (ख) शेयर का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा। (ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या दिवाले के पूर्व शेयर अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।
■	■		(i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता है कि स्वयं मुझे ही शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या भेजेगा। (ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति शेयर का अंतरण करने का निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप शेयर का अंतरण निष्पादित करेगा। (iii) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध, जो शेयरों के अंतरण के अधिकार तथा शेयरों के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर, जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।
■	■		जो कोई व्यक्ति किसी शेयर का हकदार उसके धारक की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के कारण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता जिसमें कि वह, उस शेयर का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने के सिवाय होगा कि वह शेयर की बाबत सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर ले: परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या शेयर को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो तत्पश्चात् बोर्ड शेयर की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधायित कर सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता।
■	■		एक व्यक्ति कंपनी की दशा में,- (i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास सदस्य के सभी शेयरों का हक होगा; (ii) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे शेयरों के लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी घटना की सूचना दी जाएगी; (iii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार था या दायी था; (iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिती करेगा जो सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।

			शेयरों की जब्ती
■	■		यदि कोई सदस्य, किसी आह्वान या आह्वान की किस्त उसके दिए जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात् बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर प्रोद्भूत हो गया हो।
■	■		पूर्वोक्त सूचना में- (क) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील की तारीख से चौदह दिन के अवमान से पहले का नहीं); तथा (ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे शेयर जिनकी बाबत यह आह्वान किया गया था, जब्त करने योग्य होंगे।
■	■		यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो वह शेयर, जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व जब्त किया जा सकेगा।
■	■		(i) कोई जब्त शेयर ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा व्ययनित किया जा सकेगा। (ii) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस जब्ती को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर सकेगा।
■	■		(i) कोई व्यक्ति, जिसके शेयर जब्त कर लिए गए हैं, जब्त शेयरों की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु समपहण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो जब्ती के दिन उसके द्वारा कंपनी को शेयर लेख तत्क्षण देय थीं, देने का दायित्व उस पर बना रहेगा। (ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और तब खत्म हो जाएगा जिसमें कि और जब शेयरों के लिए सब धनराशियों का पूरा भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।
■	■		(i) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का शेयर घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से जब्त कर लिया गया है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब व्यक्तियों का प्रश्न है जो उस शेयर का हकदार होने का दावा करते हैं, निश्चायक साध्य होगी। (ii) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो शेयर के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस शेयर का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे शेयर बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी। (iii) अन्तरिती उसके शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा; और (iv) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन, यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही शेयर की जब्ती, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता है।
■	■		जब्ती विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं वे ऐसी किसी धनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबंधनों के आधार पर चाहे शेयर के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय हो गई थी।
■	■		पूंजी में परिवर्तन
■	■		कंपनी इतनी रकम वाले शेयरों में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी शेयर पूंजी में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।

■	■	<p>कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए-</p> <p>(क) अपनी पूरी शेयर पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान शेयरों की रकम से बड़ी रकम के शेयरों में समेकन और विभाजन कर सकेगी;</p> <p>(ख) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त शेयरों स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त शेयरों में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी;</p> <p>(ग) अपने सब विद्यमान शेयरों को या उन में से किसी को उस रकम वाले शेयरों में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी;</p> <p>(घ) ऐसे किन्हीं शेयरों को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।</p>
■	■	<p>जहां शेयर स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां-</p> <p>(क) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे शेयर जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियों में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे;</p> <p>परंतु बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकेगा किंतु ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन शेयरों की अभिहित रकम से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;</p> <p>(ख) स्टाक के धारकों को लाभांशों के, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन शेयरों को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किंतु (कंपनी के लाभांशों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह रकम शेयरों में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता;</p> <p>(ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त शेयरों को लागू होते हैं, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "शेयर" और "शेयर धारी" शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक धारी" आएंगे।</p>
■	■	<p>कोई कंपनी विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रसंगति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन रहते हुए कम कर सकेगी,-</p> <p>(क) अपनी शेयर पूंजी;</p> <p>(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि; अथवा</p> <p>(ग) कोई शेयर प्रीमियम खाता।</p>
■	■	लाभों का पूंजीकरण
■	■	<p>(i) कंपनी साधारण अधिवेशन में बोर्ड की सिफारिश पर यह संकल्प कर सकेगी कि-</p> <p>(क) यह वाञ्छनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में या लाभ-हानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा</p> <p>(ख) ऐसी राशि तदनुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन सदस्यों के बीच, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह रकम लाभांश के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाती है.</p> <p>(ii) उपरोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किंतु उसका उपयोजन खंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए-</p> <p>(क) उन शेयरों के लिए जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत है तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकम देने में या देने के निमित्त किया जाएगा;</p> <p>(ख) कंपनी के अनिर्गमित शेयरों लेखे पूर्णतः समादत्त करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त अनुपात में किया जाता है;</p>

			<p>या</p> <p>(ग) अंशतः उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट रूप में और अंशतः उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा;</p> <p>(घ) प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षित खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे शेयरों के लिए जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस शेयरों के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही किया जाएगा;</p> <p>(ङ) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प को प्रभावी करेगा।</p>
■	■		<p>(i) जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब बोर्ड-</p> <p>(क) उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्वारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त शेयरों के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगा; तथा</p> <p>(ख) उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा।</p> <p>(ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह-</p> <p>(क) शेयरों के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसे उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा</p> <p>(ख) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त शेयरों या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन शेयरों को यह दिखाया जाकर कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है वे शेयर उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान शेयरों लेखे जो रकम या रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं;</p> <p>(iii) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।</p>
■	■		शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना
■	■		इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी अपने शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर सकेगी।
■	■		साधारण अधिवेशन
■	■		वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा।
■	■		<p>(i) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।</p> <p>(ii) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।</p>
■	■		साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां
■	■		<p>(i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।</p> <p>(ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार होगी।</p>

■	■	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।
■	■	यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य का अधिवेशन का अध्यक्ष चुनेंगे।
■	■	यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चुनेंगे।
■	■	एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (i) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि कर दी जाती है; (ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी; (iii) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।
■	■	अधिवेशन का स्थगन
■	■	(i) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है। (ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा। (iii) जबकि अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है। (iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।
■	■	मतदान अधिकार
■	■	किसी वर्ग या वर्गों के शेयरों से तत्समय संलग्न किन्हीं अधिकारों के या प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए,- (क) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा (ख) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी में उसके अंश के अनुपात में हैं।
■	■	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।
■	■	(i) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा। (ii) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।

■	■	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।
■	■	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।
■	■	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के शेयरों की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आह्वान या राशियां उसने चुका दी हैं।
■	■	(i) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में अननुज्ञात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध होगा। (ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।
■	■	परोक्षी
■	■	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है कम के कम अड़तालीस घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के लिए नियत समय से कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।
■	■	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105 के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।
■	■	जो मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाले की पहले ही मृत्यु हो गई है या वह उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे शेयर जिनकी बाबत परोक्षी दी गई है, अन्तरित कर दिए गए हैं: परंतु कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण की लिखित प्रज्ञापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।
■	■	निदेशक बोर्ड
■	■	निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।
■	■	(i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है। (ii) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने समुचित रूप से व्यय किए हैं- (क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या (ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,
■	■	कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।

■	■	कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड (उन धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए) ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत ठीक समझे।
■	■	सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनियम-पत्र और अन्य परक्राम्य लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें, यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा निष्पादित की जाएंगी।
■	■	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा।
■	■	(i) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु यह कि निदेशकों और अपर निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं हो। (ii) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।
■	■	बोर्ड की कार्यवाहियां
■	■	(i) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है। (ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यक्षता पर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएंगे।
■	■	(i) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा। (ii) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
■	■	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक, जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति से कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे।
■	■	(i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है। (ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया जाता है या किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।
■	■	(i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी समितियों को कर सकेगा। (ii) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।

■	■		(i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर सकेगी। (ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।
■	■		(i) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे बैठक कर सकेगी और अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी। (ii) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।
■	■		वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्थक था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था।
■	■		अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।
■	■		एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (i) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन में किए जाने वाले सभी कारबारों की प्रविष्टि धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएंगी; (ii) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएंगी; (iii) ऐसा संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।
■	■		मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी
■	■		अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए- (i) बोर्ड द्वारा किसी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अवधि के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को हटा सकेगा। (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
■	■		अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के लिए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।
■	■		मुहर
■	■		(i) बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करेगा। (ii) कंपनी की मुहर किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति

			की जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुहर इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।
■	■		लाभांश और आरक्षिति
■	■		कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गई है।
■	■		धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाभों के आधार पर उसे न्यायसंगत प्रतीत हो।
■	■		<p>(i) बोर्ड किसी लाभांश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाभों में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग रख सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाभों का समुचित रूप से उपयोग जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोग बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोग किए जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसे ही विवेकानुसार या तो कंपनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे।</p> <p>(ii) बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे बिना अग्रणीत कर सकेगा।</p>
■	■		<p>(i) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित शेयरों के हकदार हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन शेयरों लेखे जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी शेयरों में से किसी शेयरों लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो और तब तक शेयरों की रकम के अनुसार घोषित किए जा सकेंगे और दिए जा सकेंगे।</p> <p>(ii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले अग्रिम के रूप में किसी शेयरों लेखे में समादत्त कर दी गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह शेयरों लेखे में समादत्त कर दी गई है।</p> <p>(iii) सभी लाभांश उन रकमों के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान शेयरों के संबंध में समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है। किन्तु यदि कोई शेयरों उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह शेयरों के संबंध में आह्वान के संबंध में या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।</p>
■	■		बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां, यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के शेयरों के संबंध में आह्वान के संबंध में या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।
■	■		(i) शेयरों की बाबत नकद देय कोई लाभांश व्याज या अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।

			(ii) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता है, देय होगा।
■	■		शेयर के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे शेयर की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।
■	■		ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी जो उसमें शेयर पाने के हकदार है।
■	■		किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।
■	■		लेखा
■	■		(i) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी लेखा या बही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। (ii) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न होते हुए भी) को, कंपनी के किसी लेखा या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार उस अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त है या बोर्ड द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत किया गया है।
■	■		परिसमापन
■	■		इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय- XX के उपबंधों के अधीन रहते हुए: (i) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा; (ii) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वोक्त रूप से विभाजित किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गों के सदस्यों में कैसे किया जाएगा; (iii) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है, न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई शेयर या अन्य प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए विवश न किया जाएगा।
			क्षतिपूर्ति
■	■		कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरुद्ध कंपनी की आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है।

सारणी छ - प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी है, के संगम-अनुच्छेद					
			कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी च के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।		
			सदस्यों की संख्या		
■	■	■	जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होगी, किंतु जब कभी निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत कर लेगा।		
सारणी झ - एक शेयरपूंजी वाली और असीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद					
■	■	■	कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी च के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।		
			सदस्यों की संख्या		
■	■	■	जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होगी, किंतु जब कभी निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत कर लेगा।		
अन्य					
क्रम संख्या	अंशदाता विवरण				
	नाम, पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख
1					
2					
मेरे सामने हस्ताक्षरित					
नाम	पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या/ सदस्यता संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख

सारणी ज- प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम- अनुच्छेद			
यदि लागू हो तो जांच करें	यदि परिवर्तन हो तो जांच करें	अनुच्छेद सं.	विवरण
			निर्वचन
			<p>1. (1) इन विनियमों में..</p> <p>(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) "मुहर" से कंपनी की सामान्य मुहर अभिप्रेत है।</p> <p>(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में आए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आवद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपांतर में हैं।</p>
			सदस्य
			जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होगी, किंतु जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह अपेक्षित हो, निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा।
			ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता में प्रविष्ट कर ले, कंपनी के सदस्य होंगे।
			साधारण अधिवेशन
			वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असामान्य साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे।
			<p>(i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।</p> <p>(ii) यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक भारत में नहीं हैं, जितनी गणमूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई निदेशक या कोई दो सदस्य असामान्य साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम उसी रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है।</p>
			साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां
			<p>(i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है, जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।</p> <p>(ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।</p>
			बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।
			यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।
			यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुनेंगे।
			अधिवेशन का स्थगन
			(i) अध्यक्ष समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणमूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

			<p>(ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे वह स्थगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।</p> <p>(iii) जबकि अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है।</p> <p>(iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी।</p>
			मताधिकार
			हर सदस्य का एक मत होगा।
			यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।
			कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके द्वारा कंपनी को संदेय सभी राशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।
			<p>(i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या स्थगित अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया या निविदत्त किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा हर मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अननुज्ञात नहीं किया गया है सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा।</p> <p>(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।</p>
			जो मत परोक्षी- लिखत के निबंधनों के अनुसार दी गई है वह इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने के मृत्यु हो गई है या पागल हो गया है या परोक्षी- लिखत या वह प्राधिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहृत कर दिया गया है या पूंजियों का स्थानांतरण जिसके संबंध में परोक्षी दी गई है:
			परंतु यह तब जब कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित सूचना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।
			कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा, अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा।
			ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा।
			निदेशक बोर्ड
			निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।
			<p>(i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है।</p> <p>(ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के साथ-साथ निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने समुचित रूप से व्यय किए हैं,-</p> <p>(क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या</p> <p>(ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,</p>
			बोर्ड की कार्यवाहियां
			<p>(i) निदेशक बोर्ड कामकाज का संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।</p> <p>(ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यक्षता पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे।</p>

			(i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा। (ii) मतों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
			वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हुए कार्य कर सकेंगे, किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए, अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहे हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंतु अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे।
			(i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है। (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चुन सकेंगे।
			(i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा। (ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों।
			(i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी। (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन सकेंगे।
			(i) समिति जैसा भी उचित समझे अपना अधिवेशन कर सकेगी और उसे स्थगित कर सकेगी। (ii) समिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।
			वे सब कार्य जो बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वाक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था।
			अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।
			मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी
			अधिनियम के उपबंधों के अधीन-
			(i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा; (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंधक, कंपनी सचिव या

			मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
			अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।
			मुहर
			(i) बोर्ड, मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा। (ii) कंपनी की मुहर किसी लिखत पर बोर्ड या इस आधार पर उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की यी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस हर लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुहर ऐसे लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

सारणी अ - असीमित कंपनी, जिसकी शेयरपूजी है का संगम-अनुच्छेद					
कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी ज के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।					
			अन्य		
क्रम संख्या	अंशदाता विवरण				
	नाम, पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख
1					
2					
मेरे सामने हस्ताक्षरित					
नाम	पता, विवरण और आजीविका	डीआईएन/पैन /पासपोर्ट संख्या/ सदस्यता संख्या	स्थान	डीएससी	तारीख

उपांतरित करें

जांच प्रपत्र

[फा. सं. 1/13/2013 सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड (3), उप-खंड (i) में सा.का.नि. 250 (अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका पश्चातवर्ती संशोधन किया गया-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349 (अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442 (अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99 (अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336 (अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743 (अ)	27-07-2016

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2016

G.S.R. 936(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) fourth Amendment Rules, 2016.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 33, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) subject to the provision of sub-rule (1), for effecting the conversion of a public company into a private company, a copy of order of the Tribunal approving the alteration, shall be filed with the Registrar in Form No. INC-27 with fee together with the printed copy of altered articles within fifteen days from the date of receipt of the order from the Tribunal”.

3. In the principal rules, after rule 37, the following rule shall be inserted, with effect from 2nd October 2016, namely:-

“38. Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically (SPICE)

(1) The simplified integrated process for incorporation of a company in Form No. INC-32 alongwith e-Memorandum of Association in Form No. INC-33 and e-Articles of Association in Form No. INC-34.

(2) The provisions of sub-rule (2) to sub-rule (13) of rule 36 shall apply *mutatis mutandis* for incorporation under this rule.

Provided that for the purposes of references to form numbers INC-29, INC-30 and INC-31 in rule 36 with Form No. INC-32, Form no. INC-33 and Form No. INC-34 shall be substituted respectively.

4. In the principal rules, after rule 38 as so inserted these rules, the following rule shall be inserted with effect from **1st November, 2016**, namely:-

“39. Conversion of a company limited by guarantee into a company limited by shares (1) A company other than a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 or section 8 of the Companies Act, 2013 may convert itself into a company limited by shares.

(2) The company seeking conversion shall have a share capital equivalent to the guarantee amount.

(3) A special resolution is passed by its members authorising such a conversion omitting the guarantee clause in its Memorandum of Association and altering the Articles of Association to provide for the articles as are applicable for a company limited by shares.

(4) A copy of the special resolution shall be filed with the Registrar of Companies in Form no. MGT-14 within thirty days from the date of passing of the same along with fee as prescribed in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(5) An application in Form No. INC-27 shall be filed with the Registrar of Companies within thirty days from date of the passing of the special resolution enclosing the altered Memorandum of Association and altered Articles of Association and a list of members with the number of shares held aggregating to a minimum paid up capital which is equivalent to the amount of guarantee hither to provided by its members.

(6) The Registrar of Companies shall take a decision on the application filed under these rules within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects and upon approval of Form No. INC-27, the company shall be issued with a certificate of incorporation in Form No. INC-11B.”.

5. In the principle rules, after the Form No. INC-11A, the following form shall be inserted, namely:-

“Form No. INC-11B

Certificate of Incorporation pursuant to conversion of a company limited by guarantee into a company limited by shares

[Pursuant to section 18 of the Companies Act, 2013 read with rule 39 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that.....(name of the company prior to conversion) limited by guarantee has been converted into.....(name of the company after conversion) a company limited by shares with effect from the date of this certificate.

The CIN of the company is.....

Given under my hand at..... this..... day of..... two thousand.....

SEAL:

Registrar of Companies

.....
(State).”.

6. In the principle rules for Form No. INC-27, the following form shall be substituted, namely:-

“FORM NO. INC-27

[Pursuant to sections 14 and 18 of the Companies Act, 2013 and Rule 33, Rule 37 and Rule 39 made there under of the Companies Rules, 2013]



Conversion of public company into private company or private company into public company and Conversion of Unlimited Liability Company into a Company Limited by shares or guarantee or conversion of guarantee company into a company limited by shares

Form language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Application for Conversion of private company into public company
 Conversion of public company into private company
 Conversion of Unlimited Liability Company into Company Limited by shares or guarantee
 Conversion of company limited by guarantee into a company limited by shares

Pre-fill

2. *(a) Corporate identity number(CIN) of company

(b) Global Location Number

3. (a) Name of the Company

(b) Address of registered office

(c) email Id of the company

4. *Reason(s) for conversion

*Particulars of filing Form No. MGT-14 with Registrar of Companies (RoC)

(a) SRN of Form No. MGT-14

(b) Date of passing the special resolution

(DD/MM/YYYY)

(c) Date of filing Form No. MGT-14

5. *Particulars of the order of Tribunal

(a) Date of passing the order

(b) Date of receiving the order

6. *Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)

7. (a) Details of members present at the meeting where the decision of conversion was taken and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

(iii) Total amount of guarantee

(b) Details of the members who voted in favour of the proposal and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

(c) Details of the members who voted against the proposal and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

(d) Details of members who abstained from voting and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

Attachments**List of attachments**

1. *Minutes of the members' meeting;

Attach

2. * Copy of altered Memorandum
Articles of Association;

Attach

3. Order for condonation of delay if any;

Attach

4. *Copy of special resolution;

Attach

5. *Copy of newspaper publication;

Attach

6. Order of Tribunal;

Remove Attachment

7. *Declaration of all Directors
as per Rule 37(3)(e) ;

Attach

8. *Declaration of Directors
As per Rule 37(3)(g);

Attach

9. *Complete list of creditors and
debentures holders;

Attach

10. *Declaration of Solvency;

Attach

11. *Declaration regarding no complaints
As per Rule 37(4)

Attach

12. * A copy of Statutory Auditors Certificate

Attach

13. Optional attachment(s) (if any)

Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments are correct and complete. The company has obtained all the mandatory approvals wherever applicable from the concerned authorities, departments and substantial creditors. I have been authorized by the board of directors' resolution number *

dated * (DP) application.

To be digitally signed by

DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of Company secretary

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

7. in the principle rules, after Form no. INC-31, the following shall be inserted, namely:-

[Pursuant to sections 4, 7, 12, 152 and 153 of the
Companies Act, 2013 read with rules made
thereunder] – **FORM NO. INC-32**

SPICE

(Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically)

Form language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *State the type of company

(b) *State the class of company Public Private One Person Company

- (c) *State the category of company
- (d) *State the sub-category of company
- (e) *Company is Having share capital Not having share capital
- (f) Section 8 license number

2. (a) *Main division of industrial activity of the company

Description of the main division

- (b) Whether Articles of Association is entrenched o Yes o No
Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Details of such articles

Sr. No.	Article Number	Short description on entrenchment of the clause

3. (i) *Capital structure of the company

Total authorized share capital (in Rupees)

Authorized share capital	Equity	Preference	Unidentified
Number of shares			
Nominal amount per share (in Rupees)			
Total amount (in Rupees)			

Total subscribed share capital (in Rupees)

Subscribed share capital	Equity	Preference
Number of shares		
Nominal amount per share (in Rupees)		
Total amount (in Rupees)		

(ii) *Details of number of members

(a) Enter the maximum number of members	
(b) Maximum number of members excluding proposed employees	
(c) Number of members	
(d) Number of members excluding proposed employee(s)	

4. (a) *Correspondence address

*Line I	<input type="text"/>
Line II	<input type="text"/>
*City	<input type="text"/>
*State/Union Territory	<input type="text"/>
* Pin code	<input type="text"/>
*District	<input type="text"/>
*Phone (with STD code)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
*email ID of the company	<input type="text"/>

(b) *Whether the address for correspondence is the address of registered office of the company Yes No

(c) *Name of the office of the Registrar of Companies in which the proposed company is to be registered

--

5. *Particulars of the proposed or approved name

(a)(i)	*Whether name is already approved by Registrar of Companies <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	SRN of form INC-1	<input type="text"/> Pre-Fill

(ii)	Proposed or approved name	
	Significance of abbreviated or coined word in the proposed name	
	State the name of the vernacular language(s) if used in the proposed name and meaning thereof	

(b)	(i) *Whether the promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in the name as applied for If yes, whether the business of such entity shall be acquired	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	(ii) *Whether the proposed name including the phrase 'Electoral trust'	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	(iii) *Whether the proposed name(s) contain such word or expression for which the previous approval of Central Government is required	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	(iv) *Whether approval from any sectoral regulator is required	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	(v) Whether the name is similar to <input type="radio"/> Existing Indian Company <input type="radio"/> Foreign body corporate [Attach the copy of No Objection Certificate by way of Board resolution (duly attested by a director of that company)] Provide CIN <input type="text"/> Pre-fill Name of the Company <input type="text"/>	

(c) (i) *Whether the proposed name is based on a trademark registered or is subject matter of an application pending for registration under the Trade Marks Act Yes No

(ii) *Specify the class(s) of trade mark (refer the instruction kit for details)

--

(iii) *Furnish the particulars of application and the approval of the applicant or owner of the trade mark

--

6. (a) *Number of first subscriber(s) to MOA and directors of the company

	Having valid DIN	Not having valid DIN
--	------------------	----------------------

Total number of first subscribers (non-individual + individual)		
Number of non-individual first subscriber(s)		
Number of individual first subscriber(s) cum director(s)		
Total number of directors (director(s) who is/are not subscriber(s) + subscriber(s) cum director(s) as mentioned in above Row no. 3)		

(b) *Particulars of non-individual first subscriber(s)

*Category	<input type="text"/>
*Corporate identity number(CIN) or foreign company registration number(FCRN) or any other registration number	<input type="text"/> <input type="button" value="Pre-Fill"/>
*Name of the body corporate	<input type="text"/>
Registered office address or Principal place of business in India or Principal place of business outside India	
*Line I	<input type="text"/>
Line II	<input type="text"/>
*City	<input type="text"/>
*State /Union Territory	<input type="text"/>
*ISO Country code	<input type="text"/>
Country	<input type="text"/>
*Phone (With STD/ISD code)	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
*email id	<input type="text"/>
Particulars of the authorised person	
*First Name	<input type="text"/>
Middle Name	<input type="text"/>
*Surname	<input type="text"/>
*Father's First Name	<input type="text"/>
Father's Middle Name	<input type="text"/>
*Father's Surname	<input type="text"/>
* Gender	<input type="text"/> Birth <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PAN <input type="checkbox"/> Passport number	<input type="text"/> <input type="button" value="Verify Details"/>
Aadhaar number	<input type="text"/>
*Place of Birth (District & State)	<input type="text"/>
*Occupation type	<input type="text"/>
*Area of Occupation	<input type="text"/>
*Educational qualification	<input type="text"/>
Present Address	
*Line I	<input type="text"/>
Line II	<input type="text"/>
*City	<input type="text"/>
*State /Union Territory	<input type="text"/>
ISO Country code	<input type="text"/>
Country	<input type="text"/>
*Phone (With STD/ISD code)	<input type="text"/>

Mobile		
Fax		
*email id		
Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

(c) *Particulars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director)

I *Director Identification number (DIN) **Pre-Fill**

*Name

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

I *First Name

Middle Name

*Surname

*Father's first name

Father's middle name

*Father's surname

*Gender *Date of Birth *Nationality

*Place of Birth

*Occupation type Self Employed Professional Homemaker Student Serviceman

*Area of Occupation

If 'Others' selected, please specify

*Educational Qualification

* PAN Passport number **Verify Details**

Aadhaar number

*email ID

Permanent Address

*Line I

Line II

*City

* State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code) -

*Whether present residential address same as permanent residential address Yes No

Present address

*Line I

Line II

*City

*State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code)

*Duration of stay at present address Month

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Proof of identity Identical Proof

Submit the proof of identity and proof of address under attachments.

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

(d) *Particulars of individual first subscriber(s) cum directors

I

*Director Identification number (DIN) **Pre-Fill**

*Name

*Gender *Date of Birth *Nationality

*Designation *Category

Whether Chairman Executive director Non-executive director

*Name of the company or institution whose nominee the appointee is

*email ID

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

Number of entities in which director have interest (Need not to mention if such entity is having CIN/FCRN/LLPIN)

*Registration number

*Name

*Address

Nature of interest	*Designation <input type="text"/>
	Percentage of Shareholding <input type="text"/> Amount <input type="text"/>
	Others (specify) <input type="text"/>

I	*First Name	<input type="text"/>						
	Middle Name	<input type="text"/>						
	*Surname	<input type="text"/>						
	*Father's first name	<input type="text"/>						
	Father's middle name	<input type="text"/>						
	*Father's surname	<input type="text"/>						
	*Gender	<input type="text"/>	*Date of Birth	<input type="text"/>	*Nationality	<input type="text"/>		
	*Place of Birth	<input type="text"/>						
	*Whether citizen of India		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		*Whether resident in India		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	*Occupation type <input type="radio"/> Self Employed <input type="radio"/> Professional <input type="radio"/> Homemaker <input type="radio"/> Student <input type="radio"/> Serviceman							
	*Area of Occupation	<input type="text"/>						
	If 'Others' selected, please specify	<input type="text"/>						
	*Educational Qualification	<input type="text"/>						
	* <input type="checkbox"/> PAN <input type="checkbox"/> Passport number	<input type="text"/>	Verify Details					
	*Designation	<input type="text"/>	*Category	<input type="text"/>				
	Whether <input type="checkbox"/> Chairman <input type="checkbox"/> Executive director <input type="checkbox"/> Non-executive director							
	*Name of the company or institution whose nominee the appointee is							
	<input type="text"/>							
	*email ID	<input type="text"/>						
	Permanent Address							
	*Line I	<input type="text"/>						
	Line II	<input type="text"/>						
	*City	<input type="text"/>						
	* State/ Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code	<input type="text"/>				
	*ISO Country code	<input type="text"/>	Country	<input type="text"/>				
*Phone (with STD/ISD code)	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>					
*Whether present residential address same as permanent residential address <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No								
Present address								
*Line I	<input type="text"/>							
Line II	<input type="text"/>							
*City	<input type="text"/>							
*State/ Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code	<input type="text"/>					
*ISO Country code	<input type="text"/>	Country	<input type="text"/>					
*Phone (with STD/ISD code)	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
*Duration of stay at present address	<input type="text"/>	Mont	<input type="text"/>					
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence								
<input type="text"/>								

*Proof of identity	[] pof	
Voter's identity card number	[]	
Driving license number	[]	
Aadhaar Number	[]	
Submit the proof of identity and proof of address under attachments.		
Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares	[]	[]
Preference shares	[]	[]
Number of entities in which director have interest []		
*Registration number	[]	
*Name	[]	
*Address	[]	
Nature of interest	*Designation	[]
	Percentage of Shareholding	[] Amount []
	Others (specify)	[]

(e) *Particulars of directors (other than first subscribers)

I	*Director Identification number (DIN)	[]	Pre-Fill
	*Name	[]	
	*Gender	[]	*Date of Birth [] *Nationality []
	*Designation	[]	*Category []
	Whether <input type="checkbox"/> Chairman <input type="checkbox"/> Executive director <input type="checkbox"/> Non-executive director		
	*Name of the company or institution whose nominee the appointee is		
	[]		
	*email ID	[]	
	Number of entities in which director have interest (Need not to mention if such entity is having CIN/FCRN/LLPIN) []		
	*Registration number	[]	
	*Name	[]	
	*Address	[]	
Nature of interest	*Designation	[]	
	Percentage of Shareholding	[]	Amount []
	Others (specify)	[]	

I	*First Name	<input type="text"/>		
	Middle Name	<input type="text"/>		
	*Surname	<input type="text"/>		
	*Father's first name	<input type="text"/>		
	Father's middle name	<input type="text"/>		
	*Father's surname	<input type="text"/>		
	*Gender	<input type="text"/>	*Date of Birth	<input type="text"/>
			*Nationality	<input type="text"/>
	*Place of Birth	<input type="text"/>		
	*Whether citizen of India	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		*Whether resident in India <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	*Occupation type	<input type="radio"/> Self Employed <input type="radio"/> Professional <input type="radio"/> Homemaker <input type="radio"/> Student <input type="radio"/> Serviceman		
	*Area of Occupation	<input type="text"/>		
	If 'Others' selected, please specify	<input type="text"/>		
	*Educational Qualification	<input type="text"/>		
	* <input type="checkbox"/> PAN <input type="checkbox"/> Passport number	<input type="text"/>	Verify Details	
	*Designation	<input type="text"/>	*Category	<input type="text"/>
	Whether	<input type="checkbox"/> Chairman <input type="checkbox"/> Executive director <input type="checkbox"/> Non-executive director		
	*Name of the company or institution whose nominee the appointee is	<input type="text"/>		
	*email ID	<input type="text"/>		
	Permanent Address			
	*Line I	<input type="text"/>		
	Line II	<input type="text"/>		
	*City	<input type="text"/>		
	* State/ Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code	<input type="text"/>
	*ISO Country code	<input type="text"/>	Country	<input type="text"/>
	*Phone (with STD/ISD code)	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
	*Whether present residential address same as permanent residential address	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
	Present address			
	*Line I	<input type="text"/>		
	Line II	<input type="text"/>		
*City	<input type="text"/>			
*State/ Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code	<input type="text"/>	
*ISO Country code	<input type="text"/>	Country	<input type="text"/>	
*Phone (with STD/ISD code)	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
*Duration of stay at present address	<input type="text"/> Years	<input type="text"/> Months		
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence	<input type="text"/>			
*Proof of identity	<input type="text"/>	*Residential Proof	<input type="text"/>	

Voter's identity card number

Driving license number

Aadhaar Number

Submit the proof of identity and proof of address under attachments.

Number of entities in which director have interest

*Registration number

*Name

*Address

Nature of interest *Designation

Percentage of Shareholding Amount

Others (specify)

7. (a) *Nomination

I * ,

the subscriber to the memorandum of association of

do hereby nominate *

who shall become the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare that the nominee is eligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

(b) *Particulars of the Nominee

Director Identification number(DIN)	<input type="text"/>	Pre-Fill
*First Name	<input type="text"/>	
Middle Name	<input type="text"/>	
*Surname	<input type="text"/>	
*Father's First Name	<input type="text"/>	
Father's Middle Name	<input type="text"/>	
*Father's Surname	<input type="text"/>	
*Gender	<input type="text"/>	*Date of Birth <input type="text"/> Nationality <input type="text"/>
*Income- tax PAN	<input type="text"/>	Verify Details
Aadhaar number	<input type="text"/>	
*Place of Birth (District & State)	<input type="text"/>	
*Occupation type	<input type="text"/>	
*Area of Occupation	<input type="text"/>	
*Educational qualification	<input type="text"/>	
Permanent Address	<input type="text"/>	
*Line I	<input type="text"/>	
Line II	<input type="text"/>	
*City	<input type="text"/>	
*State /Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code <input type="text"/>
*ISO Country code	<input type="text"/>	
Country	<input type="text"/>	

*Phone (With STD/ISD code)

Mobile

Fax

*email id

*Whether present address is same as the permanent address Yes No

Present Address

*Line I

Line II

*City

*State/Union Territory

*ISO Country code

Country

Phone (With STD/ISD code)

Mobile

Fax

*Duration of stay at present address Years Months

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Proof of identity *Residential Proof

8. Particulars of payment of stamp duty

(a) State or Union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid

(b) * Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system Yes No Not applicable

(i) Details of stamp duty to be paid

Type of document/ Particulars	Form	Memorandum of association	Articles of association
Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/ Particulars	Form	Memorandum of association	Articles of association	Others
Total amount of stamp duty paid (in Rs.)				
Mode of payment of stamp duty				
Name of vendor or Treasury or Authority or any other competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government				
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number				
Registration number of vendor				
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty (DD/MM/YYYY)				
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty				

9. Additional Information for applying Permanent Account Number (PAN) and Tax Deduction Account Number (TAN)**

Information specific to PAN

Area code	AO type	Range code	AO No.

Information specific to TAN

Area code	AO type	Range code	AO No.

Source of Income

- Income from Business/profession Capital Gains Income from house property
 Income from other source No Income

Business/Profession code

--	--

10. Additional Information for Employer registration under Employee State Insurance Corporation (ESIC)Type of Unit Factory Establishment

Exact nature of Work/ Business carried on

Work Sub category

Attachments

1. *Memorandum of association;
2. *Articles of Association;
3. *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s);
4. Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts);
5. Copy of the utility bills (not older than two months);
6. Copy of approval in case the proposed name contains any word(s) or expression(s) which requires approval from central government;
7. Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark;
8. NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company;
9. In principle approval from the concerned regulator;
10. Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed;
11. Resolution passed by promoter company;
12. NOC from existing Indian company or foreign company;
13. Interest of first director(s) in other entities;
14. Consent of Nominee;
15. Proof of identity & residential address of subscribers;
16. Proof of identity & residential address of nominee;
17. Proof of identity and address of Applicant I;
18. Proof of identity and address of Applicant II;
19. Proof of identity and address of Applicant III;
20. NOC in case there is change in the promoters (first subscribers to Memorandum of Association)
21. Optional attachment(s), (if any)

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013, the rules thereunder and prescribed guidelines framed thereunder in respect of reservation of name, understood the meaning thereof and the proposed name is in conformity thereof.

I have used the search facilities available on the portal of the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for checking the resemblance of the proposed name with the companies and Limited Liability partnerships (LLPs) respectively already registered or the names already approved. I have also used the search facility for checking the resemblances of the proposed name with registered trademarks and trade mark subject of an application under the Trade Marks Act, 1999 and other relevant search for checking the resemblance of the proposed name to satisfy myself with the compliance of the provisions of the Act for resemblance of name and Rules thereof.

The proposed name is not in violation of the provisions of Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 as amended from time to time.

The proposed name is not offensive to any section of people, e.g. proposed name does not contain profanity or words or phrases that are generally considered a slur against an ethnic group, religion, gender or heredity.

The proposed name is not such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force.

I undertake to be fully responsible for the consequences in case the name is subsequently found to be in contravention of the provisions of section 4(2) and section 4(4) of the Companies Act, 2013 and rules thereto and I have also gone through and understood the provisions of section 4(5) (ii) (a) and (b) of the Companies Act, 2013 and rules thereunder and fully declare myself responsible for the consequences thereof.

* []

, a person named in the articles as a director of the company has been duly authorized by the promoters of the company to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of Director Identification Number (DIN), registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with.

I am authorized by the promoter subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first director(s) to give this declaration and to sign and submit this Form.

*I am authorised by each subscriber to declare that company shall not commence its business, unless each subscriber has paid the value of the shares agreed to be taken by him at the time of subscribing to the Memorandum of Association;

I further declare that, company shall not commence its business, unless all the required approval from the sectoral Regulators such as RBI, SEBI etc. have been obtained;

I on behalf of the promoters and the first directors, hereby declare that the registered office is capable of receiving and acknowledging all communications and notices addressed to the proposed company on incorporation, shall be maintained at the given address at item 4 of this form;

*I, on behalf of all the first director(s) named in the Articles of Association of the proposed company, solemnly declare, that the declaration given herein as stated above are true to the best of my knowledge and belief, the information given in this integrated application form for incorporation and attachments thereto are correct and complete, and nothing relevant to this form has been suppressed. All the required attachments have been completely, correctly and legibly

attached to this form and are as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.

I, on behalf of the proposed Directors whose particulars for allotment of DIN are filled as above, hereby confirm and declare that they are not restrained, disqualified, removed for being appointed as Director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under section 154 of the Companies Act, 2013, and I further declare that I have read and understood the provisions of Sections 154, 155, 447 and 448 read with Sections 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013.

*

having Membership number of practice number
has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.

Note: Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, *inter-alia*, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

*To be digitally signed by director **DSC BOX**

*DIN / PAN

Declaration and Certification by Professional

I ,
member of
having office at *

Who is engaged in the formation of the company declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby also certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that;

- (i) the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of sections 4 and 5 and rules made thereunder; and
- (ii) all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 7 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
- (iii) I have opened all the attachments to this form and have verified these to be as per

- requirements, complete and legible;
- (iv) I further declare that I have personally visited the proposed registered office given in the form at the address mentioned herein above and verified that the said proposed registered office of the company is functioning for the business purposes of the company (wherever applicable in respect of the proposed registered office has been given).
- (v) It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

* Chartered accountant (in whole-time practice) or Cost accountant (in whole-time practice) or

Company secretary (in whole-time practice) Advocate

* Whether associate or fellow Associate Fellow

* Membership number

Certificate of practice number

* Income-tax PAN

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

Affix eStamp and filing details

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

[Pursuant to Schedule I (see sections 4 and 5)
to the Companies Act, 2013] **FORM NO.**
INC-33

SPICE MOA

(e-Memorandum of Association)

MOA language English Hindi

SRN of form INC-1

Pre-Fill

*Table applicable to company as notified under schedule I of the Companies Act, 2013

Table A- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES

1stThe name of the company is

2nd The registered office of the company will be situated in the State of

3rd(a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:

--

4th The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

5th The share capital of the company is rupees, divided into

		shares of		rupees each	
--	--	-----------	--	-------------	--

6th

We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set against our respective names:

I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company:

S. No.	Subscriber Details				
	Name, Address, Description and	DIN/ PAN/ Passport	No. of Shares		Dated

	Occupation	number	taken	DSC
1				
Total Shares Taken				

Signed before me				
Name	Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number/ Membership number	DSC	Dated

7th Shri/Smt.,

resident of

aged be the nominee in the event of death of the sole member.

Table B - MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL

1stThe name of the company is

2ndThe registered office of the company will be situated in the State of

3rd (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:

4thThe liability of the member(s) is limited.

5thEvery member of the company undertakes to contribute:

- (i) to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member; and

- (ii) to the costs, charges and expenses of winding up (and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves), such amount as may be required, not exceeding rupees.

6th

We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association:

I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association:

S. No.	Subscriber Details			
	Name, Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number	DSC	Dated
1				
2				

Signed before me				
Name	Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number/ Membership number	DSC	Dated

7th Shri/Smt.,

 resident of

aged be the nominee in the event of death of the sole member.

Table C-MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND HAVING A SHARE CAPITAL

1st The name of the company is

2nd The registered office of the company will be situated in the State of

3rd(a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:

4thThe liability of the member(s) is limited.

5thEvery member of the company undertakes to contribute:

- (i) to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member; and

- (ii) to the costs, charges and expenses of winding up (and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves), such amount as may be required, not exceeding rupees.

6thThe share capital of the company is rupees, divided into

<input type="text"/>	<input type="text"/>	shares of	<input type="text"/>	rupees each	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------------

7th

We, the several persons, whose names, addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set against our respective names:

I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company:

S. No.	Subscriber Details				
	Name, Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number	No. of Shares taken		Dated
1					
2					
Total Shares Taken					

Signed before me				
Name	Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number/ Membership number	DSC	Dated

8th Shri/Smt.,

resident of

aged be the nominee in the event of death of the sole member.

Table D- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL

1stThe name of the company is

2ndThe registered office of the company will be situated in the State of

3rd(a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:

--

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:

--

--	--

4thThe liability of the member(s) is unlimited.

5th

We, the several persons, whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association:

I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association:

S. No.	Subscriber Details			
	Name, Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number	DSC	Dated
1				
2				

Signed before me				
Name	Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number/ Membership number	DSC	Dated

6th Shri/Smt.

resident of

aged years shall be the nominee in the event of death of the sole member.

Table E-MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING SHARE CAPITAL

1stThe name of the company is

2ndThe registered office of the company will be situated in the State of

3rd(a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:

--

4thThe liability of the member(s) is unlimited.

5thThe share capital of the company is rupees, divided into

<input type="text"/>	<input type="text"/>	shares of	<input type="text"/>	rupees each	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------------

6th

We, the several persons, whose names, and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set against our respective names:

I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company:

S. No.	Subscriber Details					
	Name, Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number	No. of Shares taken		DSC	Dated
1						
2						
Total Shares Taken						

Signed before me				
Name	Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number/ Membership number	DSC	Dated

7th Shri/Smt.

 resident of
 aged be the nominee in the event of death of the sole member.

[Pursuant to Schedule I (see Sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013)] **FORM NO. INC-34**

SPICE AOA

(e-Articles of Association)

AOA language English Hindi

SRN of form INC-1

Pre-Fill

*Table notified under schedule I of the companies Act, 2013 is applicable to the company

Enter name of the company here

Table F – ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES

Check if not applicable	Check if altered	Article No.	Description
			<i>Interpretation</i>
			(1) In these regulations— (a) “the Act” means the Companies Act, 2013, (b) “the seal” means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.
			<i>Share capital and variation of rights</i>
			Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.
			(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders

		<p>(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate.</p> <p>(ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall <i>mutatis mutandis</i> apply to debentures of the company.</p>
		<p>Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.</p>
		<p>(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder.</p> <p>(ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40.</p> <p>(iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.</p>
		<p>(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class.</p> <p>(ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall <i>mutatis mutandis</i> apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.</p>
		<p>The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking <i>paripassu</i> therewith.</p>
		<p>Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of</p>

			the shares may, by special resolution, determine.
			<i>Lien</i>
			<p>(i) The company shall have a first and paramount lien—</p> <p>(a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and</p> <p>(b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company:</p> <p>Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.</p> <p>(ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.</p>
			<p>The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien:</p> <p>Provided that no sale shall be made—</p> <p>(a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or</p> <p>(b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.</p>
			<p>(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof.</p> <p>(ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer.</p> <p>(iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.</p>
			<p>(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable.</p> <p>(ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.</p>

<i>Calls on shares</i>		
		<p>(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call.</p> <p>(ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares.</p> <p>(iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.</p>
		A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.
		The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
		<p>(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine.</p> <p>(ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.</p>
		<p>(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.</p> <p>(ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.</p>
		<p>The Board—</p> <p>(a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and</p> <p>(b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.</p>
<i>Transfer of shares</i>		
		(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or

		<p>on behalf of both the transferor and transferee.</p> <p>(ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.</p>
		<p>The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register—</p> <p>(a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or</p> <p>(b) any transfer of shares on which the company has a lien.</p>
		<p>The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless—</p> <p>(a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56;</p> <p>(b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and</p> <p>(c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.</p>
		<p>On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine:</p> <p>Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.</p>
		<i>Transmission of shares</i>
		<p>(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares</p> <p>(ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.</p>
		<p>(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either—</p> <p>(a) to be registered himself as holder of the share; or</p> <p>(b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made.</p> <p>(ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.</p>
		<p>(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects.</p> <p>(ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his</p>

		<p>election by executing a transfer of the share.</p> <p>(iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.</p>
		<p>A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company:</p> <p>Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.</p>
		<p>In case of a One Person Company—</p> <p>(i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member;</p> <p>(ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company;</p> <p>(iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable;</p> <p>(iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.</p>
		<i>Forfeiture of shares</i>
		<p>If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.</p>
		<p>The notice aforesaid shall—</p> <p>(a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and</p>

			(b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.
			If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.
			(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.
			(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares. (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.
			(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.
			The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.
			<i>Alteration of capital</i>
			The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.
			Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary

		<p>resolution,—</p> <p>(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;</p> <p>(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;</p> <p>(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum;</p> <p>(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.</p>
		<p>Where shares are converted into stock,—</p> <p>(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.</p> <p>(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.</p> <p>(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words “share” and “shareholder” in those regulations shall include “stock” and “stock-holder” respectively.</p>
		<p>The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,—</p> <p>(a) its share capital;</p> <p>(b) any capital redemption reserve account; or</p> <p>(c) any share premium account.</p>
		<i>Capitalisation of profits</i>
		<p>(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—</p>

		<p>(a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and</p> <p>(b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.</p> <p>(ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid; (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.</p>
		<p>(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and (b) generally do all acts and things required to give effect thereto.</p> <p>(ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares;</p> <p>(iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.</p>
		<i>Buy-back of shares</i>
		Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or

		other specified securities.
		<i>General meetings</i>
		All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.
		(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.
		<i>Proceedings at general meetings</i>
		(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.
		The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.
		If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.
		If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.
		In case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.
		<i>Adjournment of meeting</i>
		(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.

			<p>(ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.</p> <p>(iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.</p> <p>(iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.</p>
			<i>Voting rights</i>
			<p>Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,—</p> <p>(a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and (b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.</p>
			A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.
			<p>(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.</p> <p>(ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.</p>
			A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.
			Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.
			No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid
			<p>(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.</p> <p>(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.</p>
			<i>Proxy</i>
			The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority,

		<p>if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.</p>
		<p>An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105.</p>
		<p>A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given:</p> <p>Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.</p>
		<p><i>Board of Directors</i></p>
		<p>The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.</p>
		<p>(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day.</p> <p>(ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them—</p> <p>(a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or</p> <p>(b) in connection with the business of the company.</p>
		<p>The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.</p>
		<p>The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may think fit respecting the keeping of any such register.</p>
		<p>All cheques, promissory notes, drafts, <i>hundis</i>, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine.</p>
		<p>Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof</p>

		shall sign his name in a book to be kept for that purpose.
		<p>(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles.</p> <p>(ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.</p>
		<i>Proceedings of the Board</i>
		<p>(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.</p> <p>(ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.</p>
		<p>(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.</p> <p>(ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.</p>
		The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.
		<p>(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office.</p> <p>(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.</p>
		<p>(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.</p> <p>(ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.</p>
		<p>(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings.</p> <p>(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the</p>

		meeting.
		(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.
		All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.
		Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.
		In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.
		Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer
		Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may think fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board;

		(ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer
		A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.
		<i>The Seal</i>
		(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.
		<i>Dividends and Reserve</i>
		The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.
		Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.
		(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, think fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve.
		(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares. (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.

			The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.
			(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.
			Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.
			Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.
			No dividend shall bear interest against the company.
			Accounts
			(i) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being directors. (ii) No member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorised by the Board or by the company in general meeting.
			Winding up
			Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and rules made thereunder— (i) If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide amongst the members, in specie or kind, the whole or any part of the assets of the company, whether they shall consist of property of the same kind or not. (ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of

			members. (iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.
			<i>Indemnity</i>
			Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal.

Table G- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND HAVING A SHARE CAPITAL

			All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.
			<i>Number of members</i>
			The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.

TABLE I-ARTICLES OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING A SHARE CAPITAL

			All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.
			<i>Number of members</i>
			The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.
			<i>Others</i>

--	--	--	--

S. No.	Subscriber Details				
	Name, Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number	Place	DSC	Dated
1					
2					

Signed before me					
Name	Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number/ Membership number	Place	DSC	Dated

Table H- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING SHARE CAPITAL

Check if not applicable	Check if altered	Article No	Description

			<i>Interpretation</i>
			(1) In these regulations— (a) “the Act” means the Companies Act, 2013; (b) “the seal” means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall have the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.
			<i>Members</i>
			The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.
			The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.
			<i>General meetings</i>
			All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.
			(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.
			<i>Proceedings at general meetings</i>
			(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.
			The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.
			If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.
			If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.
			<i>Adjournment of meeting</i>
			(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took

			place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
			<i>Voting rights</i>
			Every member shall have one vote.
			A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.
			No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums presently payable by him to the company have been paid.
			(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.
			A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
			A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.
			Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.
			<i>Board of Directors</i>
			The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.
			(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly

			<p>incurred by them—</p> <p>(a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or</p> <p>(b) in connection with the business of the company</p>
			<i>Proceedings of the Board</i>
			<p>(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.</p> <p>(ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.</p>
			<p>(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.</p> <p>(ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.</p>
			The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.
			<p>(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office.</p> <p>(ii) If no such chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.</p>
			<p>(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.</p> <p>(ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.</p>
			<p>(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings.</p> <p>(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.</p>
			<p>(i) A committee may meet and adjourn as it thinks proper.</p> <p>(ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of</p>

			votes, the chairman shall have a second or casting vote.
			All acts done by any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.
			Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.
			Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer
			Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board. (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.
			A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.
			The Seal
			(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.

TABLE J- ARTICLES OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL

All the articles of Table H in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.

			Others		
S. No	Subscriber Details				
	Name, Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number	Place	DSC	Dated
1					
2					
Signed before me					
Name	Address, Description and Occupation	DIN/ PAN/ Passport number/ Membership number	Place	D	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Check form Modify </div>					

[F. No. 1/13/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 250(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016